आदेश

महिला मुख्य आरक्षी/972031688 विद्या तिवारी का पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज के आदेश संख्याःसीओए/एसी–2(ग्री0का0स्था0/निर्धा0का0–आर0पुलिस)–18/1068 दिनांक 09.06.2018 द्वारा जनपद प्रयागराज से जनपद कौशाम्बी किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुये उक्त मुख्य आरक्षी के स्वयं कैंसर रोग से ग्रसित होने तथा उसके पुत्र की 85 प्रतिशत विकलांगता होने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में इन्हें अनुकम्पा के आधार पर निजी व्यय पर जनपद प्रयागराज से जनपद प्रतापगढ़ स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानांतरण हेतु सम्बन्धित कर्मी का भी अनुरोध होने के दृष्टिगत इन्हें स्थानांतरण पर यात्रा/तत्सम्बन्धी अन्य कोई भत्ता देय नहीं होंगे।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्याःएएसपी–(ई–1)–(जनरल)–265/2020 दिनांकः09.12.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

09.12.2020

DGP HQRS UP LKW

DG-IV-STHA-265/2020 DTD 09-12-2020

(श्वेताभ पाण्डेय)
पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना,
कृते पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः–डीजी–चार–स्था0–265–2020/337 **दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 09,2020**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महिला मुख्य आरक्षी को उसके स्थानांतरित जनपद हेतु कार्यमुक्त करते हुये सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें । यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महिला मुख्य आरक्षी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद कौशाम्बी।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।